सहायक कलेक्टर मण्डल

3/8/22 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 29-10-22 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29/10/22 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 12-11-22 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

12/11/22 पत्रावली चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प मांडल मे पेश हुई. वकील प्रार्थीगण उपस्थित. अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:55:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या– 129/22 प्रा.पत्र

कन्हैयालाल s/o ...... जाति बलाई निवासी माद्ड तहसील माण्डल (गौरा)

–प्रार्थी

बनाम

गोपाल s/o ...... तेली निवासी माद्ड तहसील माण्डल (गौरा)
(प्र.०.वि.०, ग्रामपंचायत ......)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

::आदेश:: दिनांक – 12.11.22

...ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन ...के ग्राम......माद्ड......पटवार हल्का......माद्ड......तहसील माण्डल में उसके ...युक्त खाते की आराजी नं......1831, 1840...... कुल किता......02......रकबा......2.1373 ...स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये ...ा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की ... के आदेश प्रदान कराये जावें।

...ार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ......02.8.22......को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को ...ार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का ...ो हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते ...र्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

...का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......माद्ड......पटवार ......माद्ड......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं......1831, 1840...... किता......02......रकबा......2.1373......हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी ... जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख ...क्षक ......भू.अ.नि.रि.रा......को......1300/-......रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने ... पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को ... हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार ...कर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं ... जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:55:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा